### <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 39ए / 17</u> संस्थापन दिनांक:— 30.10.2017 फाईलिंग नं. 61 / 2017

मधु पिता पिरमू, उम्र 44 वर्ष निवासी मालेगांव बासन्या, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादीगण</u>

#### वि रू द्ध

- 1. जुगनी पति हवस्, उम्र 70 वर्ष
- 2. कमलू पिता हवस्, उम्र 50 वर्ष
- 3. समलू पिता हवसुँ, उम्र 35 वर्ष तीनों निवासी मालेगांव बासन्या, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. नंदराम पिता नान्ह्, उम्र 40 वर्ष
- 5. नन्हिया पिता नान्ह्र, उम्र 50 वर्ष
- 6. पुनिया पिता नान्ह्र, उम्र ४८ वर्ष
- 7. सुमिया पिता नान्हू, उम्र 45 वर्ष
- मुन्नी पिता नान्हू, उम्र 45 वर्ष
  क. 4 से 8 निवासी मालेगांव बासन्या, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 9. मेहंगू पिता रंगलाल, उम्र 65 वर्ष निवासी मालेगांव बासन्या, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 10. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

## <u> -: ( आदेश ) :-</u>

## (आज दिनांक 30.11.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता पिरमू पांच भाई थे। संयुक्त परिवार होने से वादी के पिता पिरमू एवं उनके भाई अम्बू, सूरतलाल,

मेहंगू एवं जोगीलाल ने संयुक्त रूप से दिनांक 21.04.1972 को अम्मीलाल से ख.नं. 144/4 रकबा 7.80 एकड़ जिसका नवीन ख.नं. 201 निर्मित हुआ और रकबा 3. 157 हे. हुआ, उपर्युक्त भूमि में से 2 एकड़ अर्थात 0.809 हे. भूमि क्रय की। वादी के पिता पिरम् एवं अन्य भाईयों के द्वारा खानदानी संपत्ति एवं खरीदी गयी दो एकड भूमि का आपसी विभाजन होने पर अन्य भूमियों के साथ क्रय की गयी दो एकड़ भूमि वादी के पिता पिरमू को हिस्से में दी गयी जिस पर वादी के पिता की मृत्यू उपरांत से वादी काबिज है। खसरा नं. 144/4 का शेष रकबा मूल भूमि स्वामी विकय कर चुके हैं। वादी के पिता पिरमू एवं उनके भाईयों द्वारा खरीदी गयी दो एकड़ भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही दिनांक 18.03.1975 को की गयी लेकिन राजस्व रिकार्डों में यह संशोधन आगे दर्ज न होने से वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं हो पाया जिस हेतु वादी ने राजस्व न्यायालय में दिनांक 11.04.2017 को आवेदन दिया परंतु वह भी निरस्त कर दिया गया। मौके पर विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा है। चूंकि वादी के पिता ने अपने भाईयों के साथ मिलकर विवादित भूमि खरीदी थी और बाद में बंटवारे में प्राप्त की जिस पर वादी के पिता पिरम् के उपरांत वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, स्विधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के विक्रय एवं आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किया जावे।

- 3 प्रतिवादी क. 01 से 08 एवं 10 विधिवत सूचना की तामिली उपरांत अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रतिवादी क. 09 मेहंगूलाल सूचना की तामिली उपरांत न्यायालय में उपस्थित हुआ। तत्पश्चात आगामी प्रक्रम पर प्रतिवादी क. 09 की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--
  - 1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
  - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
  - क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूर्तनीय क्षिति होगी ?

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

5 वादी ने अपने आवेदन में विवादित भूमि वादी के पिता पिरमू एवं पिरमू के भाईयों के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 21.06.1972 को रिजस्टर्ड विक्रय पत्र से अम्मीलाल से क्रय किया जाना बताया है। साथ ही अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1972 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। साथ ही दस्तावेज जमाबंदी वर्ष 1949-50 प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 144/4 रकबा 7.80 एकड़ अन्य भूमियों के साथ झनकलाल, अम्मीलाल, मुन्ना पिता कुवरचंद के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1971–72 के अवलोकन से ख.नं. 144/4 का नवीन नंबर 201 निर्मित होना प्रकट हो रहा है। किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013–14, खसरा वर्ष 2013-14 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 201/1 रकबा 1.943 हे. जुगनी, कमलू, नंदराम एवं अन्य के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है तथा संशोधन पंजी वर्ष 1972 से 1978 के अवलोकन से ख.नं. 144/4 में से रकबा दो एकड़ वादी के पिता पिरमू एवं सूरतलाल, मेहंगू, जोगीलाल, अम्बू का नाम विकय पत्र दिनांक 21. 06.1972 के आधार पर आना प्रकट हो रहा है। वादी की ओर से विवादित भूमि के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज राजस्व प्रकरण क. 48अ / 06अ 2016-17 की आदेश पत्रिकाऐं एवं नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 25.07.2017 एवं वादी के द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उपर्युक्त राजस्व प्रकरण में आहूत जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तृत किया गया है जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 27.06.2017 के अवलोकन से विवादित भूमि ख. नं. 144 / 4 रकबा 0.809 हे. (नवीन नंबर 201) पर 20–25 वर्षों से वादी मधु पिता पिरम् का कब्जा होना लेख है। साथ ही इसी विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तूत जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 01.07.2017 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि विवादित भूमि पर वादी मध् का कब्जा है एवं ख.नं. 201/1 में से 0.524 हे. भूमि कमलू, समलू एवं हवसू के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1974 के माध्यम से क्य की गयी परंतु उनका कब्जा नहीं पाया गया। साथ ही कमलू वगैरह के द्वारा भिम विकय किये जाने पर केता सरिता का भी कब्जा नहीं पाया गया।

वादी के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 144/4 रकबा 7.80 एकड़ में से दो एकड़ अर्थात 0.809 हे. भूमि वादी के पिता पिरमू एवं उनके अन्य भाईयों द्वारा संयुक्त रूप से क्य किया जाना एवं तत्पश्चात वादी के पिता पिरमू एवं उनके भाईयों के बीच विवादित भूमि एवं अन्य खानदानी भूमियों का बंटवारा होने पर विवादित भूमि बंटवारे में वादी के पिता पिरमू को प्राप्त होना बताया है और क्य दिनांक से ही विवादित भूमि पर पिरमू का आधिपत्य होना एवं पिरमू की मृत्यु उपरांत वादी ने अपना आधिपत्य होना बताया है। यद्यपि वादी की ओर से दस्तावेज किश्तबंदी एवं खतौनी वर्ष 2013—14 प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है परंतु वादी की ओर से राजस्व न्यायालय में उसका नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार के द्वारा विवादित भूमि के मौके का जांच प्रतिवेदन आहूत किये जाने पर मौके पर विवादित भूमि पर वादी मधु का कब्जा पाया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया विवादित भूमि पर वादी मधु का आधिपत्य होना प्रकट हो रहा है। राजस्व न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 25.07.2017 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर अपना स्वत्व एवं

आधिपत्य विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1974 के आधार पर बताया और इसी आधार पर राजस्व दस्तावेजों में नाम दर्ज होना बताया है परंतु वादी के द्वारा विवादित भूमि पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1972 के आधार पर होना बताया है। स्पष्टतः वादी का विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के विक्रय पत्र से पूर्व का है। साथ ही प्रथम दृष्टया वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य प्रकट हो रहा है। इस प्रकार वादी ने उसके पक्ष में विधिक अधिकार के संबंध में एक विचारण योग्य प्रश्न उठाया है। फलतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

- विचारणीय प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार विवादित भूमि पर वादी मधु का ख.नं. 144/4 रकबा 0.809 हे. नवीन नंबर 201 पर प्रथम दृष्टया आधिपत्य प्रमाणित पाया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यदि वादी को उसके स्थापित आधिपत्य से यदि उसे हटाया जाता है तो वादी विवादित भूमि के उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो जायेगा। साथ ही विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से यदि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो निश्चित ही वाद बाहुल्यता की स्थिति निर्मित होगी। उपर्युक्त स्थिति प्रतिवादीगण की तुलना में वादी के लिए असुविधापूर्ण होगी और उसे होने वाली क्षति की पूर्ति धन के रूप में कराया जाना संभव नहीं होगा। फलतः सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत भी वादी के पक्ष में पाया जाता है।
- 8 वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपिटत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख.नं. 144/4 नवीन नंबर 201/1 रकबा 0.809 हे. स्थित ग्राम मालेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल, जिसके उत्तर में भागरती की जमीन, दक्षिण में नाला, पूर्व एवं पश्चिम में वर्तमान में नंदराम की जमीन है, पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करे एवं विवादित भूमि का विक्रय या अन्यथा अंतरण स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से ना करे।
- 9 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल